L. A. BILL No. XIX OF 2021.

A BILL

further to amend the Essential Commodities Act, 1955, in it's application to the State of Maharashtra.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक १९ सन् २०२१।

महाराष्ट्र राज्य को उसकी प्रयुक्ति में, आवश्यक वस्तु अधिनियम, १९६५ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी विधेयक।

सन् १९५५ का १०।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र राज्य को उसकी प्रयुक्ति में, आवश्यक वस्तु अधिनियम, १९५५ में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है; अतः भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भण।

१. (१) यह अधिनियम आवश्यक वस्तु (महाराष्ट्र संशोधन) अधिनियम, २०२१ कहलाए।

(२) इसका विस्तार संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य में होगा।

(३) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, नियत करें।

सन् १९५५ का १० की धारा ३ में संशोधन।

२. आवश्यक वस्तु अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की, उप-धारा (३क) के पश्चात्, निम्न उप-धारा, निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :— सन् १९५५ का १०।

"(१ ख) उप-धारा (१ क) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, असाधारण परिस्थितियों के अधीन, किसी आदेश द्वारा, उत्पादन, आपूर्ति, वितरण, अधिरोपित स्टॉक सीमा को विनियमित या प्रतिषेधित करेगी, जिसमें अकाल, कीमत वृद्धि और प्राकृतिक आपदा सम्मिलित हो सकेगी।"।

उद्देश्यों तथा कारणों का वक्तव्य।

संसद ने, केन्द्र सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें ऐसे अनाज, दाल, आलू, प्याज, खाद्य तिलहन और तेल भी सम्मिलित है, ऐसे खाद्य पदार्थों की आपूर्ति करने, असाधारण परिस्थितियों जिसमें युद्ध, अकाल, असाधारण कीमत वृद्धि और गंभीर प्रकृति की आपदा भी सम्मिलित है, को विनियमित करने के लिए, उपबंध करने के लिए, आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, २०२० (सन् २०२० का केन्द्रीय अधिनियम क्र. २२) (जिसे इसमें आगे, "केन्द्रीय अधिनियम " कहा गया है) द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, १९५५ (सन् १९५५ का केन्द्रीय अधिनियम क्र. १०) संशोधित किया गया है।

२. केन्द्रीय अधिनियम में असाधारण परिस्थितियों के अधीन, उत्पादन, आपूर्ति, वितरण, अधिरोपित स्टॉक सीमा जिसमें अकाल, कीमत वृद्धि, प्राकृतिक आपदा सम्मिलित होगी, को विनियमित या प्रतिषेध करने के लिए राज्य सरकार के लिए कोई उपबंध नहीं है।

३. असाधारण परिस्थितियों के अधीन उत्पादन, आपूर्ति, वितरण, अधिरोपित स्टॉक सीमा जिसमें अकाल, कीमत वृद्धि, प्राकृतिक आपदा सम्मिलित होगी को विनियमित या प्रतिषेध करने के लिए राज्य सरकार को शक्ति प्रदान करने के लिए, महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र राज्य को उसकी प्रयुक्ति में, आवश्यक वस्तु अधिनियम, १९५५ की धारा ३ में संशोधन करना इष्टकर समझती हैं।

४. प्रस्तुत विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना हैं।

मुंबई,
दिनांकित ६ जुलाई, २०२१।

छगन भुजबळ,
खाद्य, सिविल आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री।

प्रत्यायुक्त विधान संबंधी ज्ञापन।

प्रस्तुत विधेयक में विधायी शक्ति के प्रत्यायोजन के लिये निम्न प्रस्ताव अन्तर्ग्रस्त है, अर्थात् :—

खण्ड १ (३) .——इस खण्ड के अधीन, राज्य सरकार को इस अधिनियम के उपबंधों को ऐसे दिनांक को प्रवृत करने की शक्ति प्रदान की गई है, जिसे राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा नियत करें।

२. विधायी शक्ति के प्रत्यायोजन के लिये उपर्युक्त उल्लिखित प्रस्ताव सामान्य स्वरुप के है।

(यथार्थ अनुवाद)

श्रीमती विजया ल. डोनीकर,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

विधान भवन,
मुंबई,
दिनांकित ६ जुलाई, २०२१।

राजेन्द्र भागवत,
सचिव,
महाराष्ट्र विधानसभा।

शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई